संख्या-02/2025/26/एक-1-2025-
1-1099/244/2023-रा0-1

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 21 फरवरी, 2025

विषयः- सीतापुर शिक्षा संस्थान ट्रस्ट द्वारा ग्राम दारानगर, रस्यौरा, तहसील सदर, जनपद सीतापुर में विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4531/बारह-ए0/सी0एफ0-47/(2019-2020)/सी0शि0सं0/जि0भू0व्य0लि0 दिनांक-18.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-154(3) के अन्तर्गत 12.5 एकड़ से अधिक क्रय भूमि के सम्बन्ध में कार्योत्तर नवीन अनुमति राज्य सरकार द्वारा सुसंगत नियमों के आधार पर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल ग्राम दारानगर, रस्यौरा, तहसील सदर, जनपद सीतापुर में सीतापुर शिक्षण संस्थान द्वारा क्रय की गयी कुल भूमि 28.311हे0 में से ग्राम रस्यौरा में क्रय की गयी 13.823हे0 भूमि राज्य सरकार में निहित होने के बाद संस्थान के पास विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक 9.429हे0 भूमि के सशुल्क विनियमितीकरण निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) सीतापुर शिक्षा संस्थान ट्रस्ट द्वारा ग्राम दारानगर, रस्यौरा, तहसील सदर, जनपद सीतापुर में सीतापुर शिक्षण संस्थान द्वारा विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गयी उक्त 9.429हे0 भूमि को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर आगणित कुल धनराशि का 10 प्रतिशत जुर्माने के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक, उपधारा-(3) के अधीन अनुज्ञा किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग सीतापुर शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय-पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं। साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से तो क्रय नहीं की गयी है।

(6) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा व किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(3) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

(4) प्रबंध निदेशक, सीतापुर शिक्षण संस्थान ट्रस्ट, सीतापुर, रस्यौरा, जनपद सीतापुर-261001

(5) गार्ड फाइल |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।